पत्रांक 4883 / एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / अधि / 93 / 16

प्रेषक,

मो. रईस सिद्दीकी, एच.जे.एस.,
निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल) गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ :: दिनांक :: 04 अक्टूबर, 2016

विषयः राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त हो रहे न्यायिक सदस्य के 01 (एक) पद पर चयन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 23 / एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / अधि.93 / 16 लखनऊ :: दिनांक :: 04 अक्टूबर, 2016 की छाया प्रति (सी0डी0 सहित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के प्रत्येक संस्करण में तत्काल **निःशुल्क** प्रकाशित करवाते हुए इसकी एक प्रति इस आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी उल्लेखनीय है कि यह विभाग पूर्णतः सरकारी विभाग है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मो. रईस सिद्दीकी)
निबंधक

पत्रांक /एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / अधि. 93 / 16 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग, उ.प्र., शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से विज्ञापन में अंतिम निर्धारित दिनांक 04.11.16 तक शासन में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की सूची सहित दिनॉक 10.11.16 तक राज्य आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. विशेष सचिव, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनु–2, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन स्तर से निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ को इस आशय का पत्र भेजने का कष्ट करें कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. लखनऊ पूर्णतः सरकारी विभाग है। अतः उक्त विज्ञापन को निः शुल्क विज्ञप्ति कराने का कष्ट करें।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रेस विज्ञप्ति संख्याः 23 / एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / अधि.93 / 16 लखनऊ :: दिनांकः 04 अक्टूबर, 2016 को अपने नोटिस बोर्ड पर जनसामान्य के सूचनार्थ चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संलग्न प्रेस विज्ञप्ति संख्याः 23 / एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / अधि.93 / 16 लखनऊ :: दिनांकः 04 अक्टूबर, 2016 को अपने नोटिस बोर्ड पर जनसामान्य के सूचनार्थ चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. जनसूचना अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उपरोक्त विज्ञापन राज्य आयोग की वेबसाइट पर डलवाये जाने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(मो. रईस सिद्दीकी)
निबंधक

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल) गोमती नगर, लखनऊ।

विज्ञापन संख्याः 23 / एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / अधि. 93 / 16 दिनांकः 04 अक्टूबर 2016

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (राज्य आयोग) में रिक्त हो रहे **न्यायिक सदस्य** के 01 (एक) पद पर नियुक्ति की जानी है।

न्यायिक सदस्य जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 16(ख) में परिभाषित है, (सपठित स्पष्टीकरण) **''न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों''** अभिव्यक्तियों का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होगा, जो जिला स्तरीय न्यायालय में या समान स्तर पर किसी अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए ज्ञान और अनुभव धारण करते हों।

उक्त पद पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–16 के अनुसार राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु तक जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

राज्य आयोग का कोई सदस्य पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति हेतु इस शर्त के अधीन पात्र होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति की अर्हताओं एवं अन्य शर्तो को पूरा करता है और वह पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर ही की जायेगी।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले **अभ्यर्थियों से दिनॉक 04.11.2016 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं** :–

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो,
(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों,
(3) योग्यता, सत्यनिष्ठा, और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, और जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्यकलाप अथवा प्रशासन संबंधी समस्याओं से संव्यवहार करने का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो,

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्हित होगा यदि वह –

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या
(ख) उन्मुक्त दिवालिया है, या
(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या
(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या

(ङ.) राज्य सरकार की राय में ऐसा वित्तीय हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(च) ऐसी कोई अन्य निरर्हता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए

पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ को सीधे प्रेषित किया जायेगा।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(मो. रईस सिद्दीकी)
निबंधक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल में)
गोमती नगर, लखनऊ।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 में न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(प्रेस विज्ञप्ति संख्याः 23/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अधि.93/16 दिनांक : 04 अक्टूबर, 2016)

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन स्व प्रमाणित फोटो चिपकायें

1. अभ्यर्थी का नाम–
   (क) हिन्दी में..
   (ख) अंग्रेजी के बडे अक्षरों में..
2. पिता/पति का नाम..
3. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)..
   (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु–...............वर्ष...............माह...............दिन
4. (क) शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र सहित)..
   (ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो, प्रमाण पत्र सहित)..
5. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा..
   ....
   (अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन)
   (ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते है। (समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित)..
   ....
   (ग) अभ्यर्थी यदि पूर्व में राज्य आयोग/जिला फोरम का सदस्य रह चुका है तो कितनी बार और कहाँ (विवरण एवं अवधि अंकित करे.) ....
   ....
6. (क) स्थायी पता..
   ....
   (ख) पत्र व्यवहार का पता..
   ....
7. (क) वर्तमान व्यवसाय..
   (ख) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (यदि अभ्यर्थी किसी राजकीय/भारतीय सेवा आदि सेवा से सेवानिवृत्त हुये है, तो इसका पूर्ण विवरण अंकित करे, प्रमाण पत्र सहित) ....
   ....
8. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)..
   ....
   (आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)
9. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
   (क) पिता..
   (ख) पति/पत्नी..
10. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें, ...
    ....
11. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में उच्चतर न्यायिक सेवा मे रहा है अथवा कार्यरत है वह राज्य आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करे ....
    ....
    ....
    ....
    ....

यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें...

....

....

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 05 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें..

....

....

....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण..

....

12. अन्य विवरण, यदि कोई हो...

13. टेलीफोन न. एस.टी.डी. कोड सहित..........................

14. मोबाइल नं...

तिथि .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..................................

स्थान .... अभ्यर्थी का नाम..

घोषणा पत्र

मैं..घोषणा करता/करती हूँ कि – (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और ये शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नही छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम...